महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्

विभागाध्यक्ष कार्यालय, विकास भवन, तृतीय तल,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)
☎0771-2331659, Email id-nregastatecell@gmail.com

क्र.1240 / 942 / वि–7 / MGNREGA / अभि. प्र. / 2018 नवा रायपुर अटल नगर दि. 02 / 05 / 2022

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक (MGNREGA) / कलेक्टर,
जिला– बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, धमतरी, कबीरधाम,
कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं सरगुजा, छत्तीसगढ़।

विषय :– **BRLF द्वारा संचालित हाई इम्पेक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना (HIMWSP) के क्रियान्वयन के संबंध में।**

//00//

विषयांतर्गत प्रदेश के 12 जिलों के 26 विकासखंडों में महात्मा गांधी नरेगा, ABF, BRLF एवं CSO के सहयोग से वर्ष 2018 से हाई इम्पेक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना (HIMWSP) का संचालन किया जा रहा है। चुंकि परियोजना के प्रथम चरण का कार्यकाल माह सितम्बर 2022 में समाप्त हो रहा है। अतः कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु दिनांक 30.03.2022 को आयोजित PSC की बैठक में चर्चा अनुसार परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा निम्नानुसार है :–

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन का कार्य PRI- CBO (CLF) की Partnership से सहयोग लिया जाएगा।
- BRLF द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति एवं पूर्णता के लिये माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक एवं माह सितम्बर 2022 के उपरांत भी प्राथमिकता दी जावेगी।
- Mega Watershed Project के तहत् महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का उपयोग लाभार्थियों के परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने एवं आय में वृद्धि हेतु किया जावेगा।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित निजी डबरी के पार / खेत के मेढ़ पर दलहन फसलें जैसे– अरहर (pigeon pea) कृषि विभाग की योजना से समन्वय कर लगाया जाना उचित होगा, जिससे लाभार्थियों के परिवारों की आजीविका में वृद्धि होगी।
- सभी विकासखंडों के GIS आधारित Activity map तैयार किया जाना आवश्यक है, ताकि कार्यों की प्लानिंग की प्रक्रिया एवं कार्यों की परिपूर्णता को समझा जा सके। जिसके लिये विकासखंड / जिला स्तर के अमलों को प्रशिक्षण दिया जाना होगा। जिसमें परियोजना के SPMU एवं स्थानीय CSOs की सहायता ली जा सकती है।
- वन क्षेत्र में किये गये उपचार एवं व्यय Mega Watershed Project की प्रगति में परिलक्षित नहीं हो रहे है जिसके लिये वन विभाग से समन्वय की आवश्यकता है। अतः जिला स्तर पर वन विभाग के साथ समन्वय बैठक स्थानीय CSOs की सहभागिता में आयोजित किया जा सकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विकासखंडों में महात्मा गांधी नरेगा के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए, समन्वय के साथ उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अशोक चौबे)
अपर आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

क्रमशः..02

पृ.क्र. 1241/942/वि–7/MGNREGA/अभि. प्र./2018 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–समस्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री मनोज कुमार, इंटीग्रेटर, प्रदान, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ। कृपया संबंधित स्थानीय CSOs को सहयोग हेतु निर्देशित किया जावे।

अपर आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

Project Steering Committee, High Impact Mega Watershed Project Chhattisgarh की 5 वीं बैठक दिनांक 30.03.2022 का कार्यवाही विवरण

विषयांतर्गत Project Steering Committee, High Impact Mega Watershed Project Chhattisgarh की 5 वीं बैठक दिनांक 30.03.2022 के कार्यवाही विवरण में निम्नानुसार लेख किया गया है कि :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सहायक परियोजना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें प्रगतिरत एवं स्वीकृति हेतु शेष कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए समस्त कार्यों को वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण किये जाने के निर्देश जारी किया जाना है।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर NRM कार्यों का GIS आधार पर Plan बनाते हुए Mega Watershed Project अंतर्गत 26 विकासखंडों में लिये गये कार्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये गये Plan में सम्मिलित किया जाना है।
3. वन क्षेत्र में किये गये उपचार एवं व्यय Mega Watershed Project की प्रगति में परिलक्षित नहीं हो रहे है जिसके लिये विभागों की समन्वय की आवश्यकता है।
4. उपचार कार्यों के प्राभावों को देखने के लिये मृदा में नमी की मात्रा का विश्लेषण किया जाना उचित होगा, जिसके लिये माह– अप्रैल/मई, अक्टूबर/नवम्बर एवं मार्च/अप्रैल में विकासखंड स्तर के अमलों द्वारा Moisture meter के द्वारा डाटा संग्रहण किया जाना है।
5. सभी विकासखंडों के GIS आधारित Activity map तैयार किया जाना आवश्यक है, तकि कार्यों की प्लानिंग की प्रक्रिया एवं कार्यों की परिपूर्णता को समझा जा सके। जिसके लिये विकासखंड/जिला स्तर के अमलों को प्रशिक्षण दिया जाना होगा।

   26 विकासखंडों के GIS आधारित Activity map, SPMU द्वारा बनाया जावेगा, जिससे DPR में की गई प्लानिंग एवं क्रियान्वयन की स्थिति को देखा जा सके।
6. आजीविका के कार्यों से आय में वृद्धि के डाटा को परीक्षण कर महात्मा गांधी नरेगा को माह– मई 2022 के उपरांत उपलब्ध कराया जावेगा।
7. मैदानी स्तर पर कार्यों के पहले एवं कार्य होने के बाद की फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराई जावे।
8. Mega Watershed Project अंतर्गत गुणवत्तायुक्त कार्य जो कि SPMU द्वारा किये जा रहे है, उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के साथ साझा किया जावेगा, ताकि विकासखंड स्तर के अधिकारी उक्त क्षेत्र एवं कार्यों का परीक्षण कर सकेंगे।

क्रमशः ... 02

9. निजी डबरी के मेढ़ों पर दलहन फसलें जैसे– pigeon pea लगाया जाना उचित होगा जिसके लिये विभागीय अभिसरण अंतर्गत कृषि व उससे संबंधित कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों से जोड़े जाने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक/ कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया जा सकता है। जिससे आजीविका में वृद्धि होगी।
10. SPMU द्वारा केस स्टडी का संकलन प्रगति में है जिसकी Hard copy एवं Soft copy साझा की जावेगी।
11. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ पश्चिम बंगाल के "उसर मुक्ति प्रोजेक्ट" में अप्रैल/मई में भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

"बैठक के मुख्य बिन्दु" :–

- BRLF द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति एवं पूर्णता के लिये माह– अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक एवं माह– सितम्बर 2022 के उपरांत भी प्राथमिकता दी जावेगी।
- Mega Watershed Project के तहत् महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का उपयोग लाभार्थियों के परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने एवं आय में वृद्धि हेतु किया जावेगा।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन का कार्य PRI- CBO (CLF) की Partnership से सहयोग लिया जाएगा।
- Mutual learning events एवं Trainings द्वारा मानव संसाधन और सामाजिक पूंजी के निर्माण पर जोर दिया जावेगा।
- माह– अप्रैल 2022 में सितम्बर 2022 के पश्चात परियोजना के विस्तार के लिए शासन से अनुमोदन प्राप्त कर ABF और BRLF को पत्र भेजा जाना है। शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर महात्मा गांधी नरेगा, BRLF, ABF, PRADAN (लीड CSO) के परामर्श से अगले चरण के लिए माह– मई/जून 2022 में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जावेगा।

––00––